फर्द अहकाम

जयनारायण बनाम [illegible]

नाम न्यायालय ए०सी०

केस संख्या नं /213/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष की बहस नं० पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय रूलवाद अवलोकन किया गया। रूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात को संरक्षित बनाये रखना उचित समझते है, जिससे कि वाद बाहुल्यता ना बढ़े। अतः दिनांक 18/12/24 को जारी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर उभयपक्षों को रूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात ख० नं० 1711, 1712, 1713, 1715, 1716, 1725, 1726, 1727, 1728 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8600 हे० वाके ग्राम नेवटा पटवार हल्का नेवटा भू० अभि० नि० ग्रा० [illegible] तहसील [illegible] जिला जयपुर की मौके एवं कागजात में यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली रीडर की अनुपस्थिति के कारण [illegible] कोमल कुमार होकर उक्त केस के [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/10/25 खुले न्यायालय में सुनाया गया। [illegible]	